

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Bail Cancellation Application No. 86/2025

Shakti Singh S/o Shri Prem Singh

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Bail Cancellation Application No. 87/2025

Shakti Singh S/o Shri Prem Singh

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

S.B. Criminal Bail Cancellation Application No. 88/2025

Shakti Singh S/o Shri Prem Singh

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

S.B. Criminal Bail Cancellation Application No. 89/2025

Shakti Singh S/o Shri Prem Singh

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Manoj Avasthi

For Respondent(s) : Mr. A.K. Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

30/07/2025

परिवादी शक्ति सिंह की ओर से यह चारों जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश, महवा जिला-दौसा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 46/2025 पुलिस थाना-सलेमपुर अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 140(3), 110, 111(4), 308(2) बी.एन.एस. के मामलों अभियुक्तगण नरेश, सुरेश, रिकू व

फूल सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र पर पारित आदेशों क्रमशः दिनांक 27.5.2025, 4.6.2025, 15.5.2025, 19.5.2025 (जिनके द्वारा उक्त अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए गये), को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किए गये हैं।

विद्वान अधिवक्ता परिवादी/प्रार्थी का तर्क है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण-अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में संस्थित 40-50 गंभीर आपराधिक प्रकरणों का उल्लेख तो इन जमानत आदेशों में किया है, किन्तु इस सम्बन्ध में न तो गौर किया है और ना ही इतने आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के उपरांत भी अप्रार्थीगण-अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का कोई आधार अंकित किया है। उनका तर्क है कि इस मामले में घटित घटना के एक दिन पहले दिनांक 4.4.2025 को अप्रार्थीगण-अभियुक्तगण अपने हाथों में अवैध कट्टा, सरिया, लाठी, डण्डा, पाईप, फरसा लेकर आये और सतेन्द्र सिंह व लखन सिंह की बस को रोककर उनके साथ मारपीट की, हफ्ता वसूली मांगी तथा उनसे बुकिंग की राशि 20,000/-रुपये व मोबाईल छीन लिए तथा हवाई फायर किया व बस को नुकसान पहुंचाया तथा सवारियों का सामान लूट लिया। उनका तर्क है कि इस घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 45/2025 पुलिस थाना-सलेमपुर पर अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 189(2), 352, 351(2), 351(3), 324(4), 324(5), 308(2), 111(2) (बी) बी.एन.एस. में दर्ज करवाई गई थी। इस घटना में आई चोटों के ईलाज के लिए आहतगण को दिनांक 5.4.2025 को ले जाया जा रहा था, तब अभियुक्तगण ने उक्त आहतगण के साथ फिर से मारपीट की। उनका तर्क है कि अप्रार्थीगण-अभियुक्तगण संगठित आपराधिक गैंग बनाकर अपराध करते हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण के आपराधिक रिकार्ड पर बिना विचार किए जमानत आदेश पारित किया है। अतः उक्त आदेशों को निरस्त किया जाये।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उपयुक्त सभी जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त प्रति पेश होने पर अप्रार्थीगण-अभियुक्तगण को नोटिस नियमानुसार जारी किए जाये।

(SHUBHA MEHTA),J